

6/2015

वादीगण को पुकार लगाये जाने पर कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण एकपक्षीय

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्ष्य अनुपस्थित।

वादी साक्ष्य हेतु पौच स्थगन दिये गये हैं। परन्तु वादी साक्ष्य अनुपस्थित है।

वादीगण अवयस्क है परन्तु उनके वादमित्र भी अनुपस्थित है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **AIR 1950 PEPSU 28 Amar Singh v. Kishan Sing** में प्रतिपादित किया गया है कि I hold that when the plaintiff's next friend is absent at the time the suit is called on for hearing it can be properly dismissed in default under O.9, R.3 or O.9, R.8 as the case may be.

प्रकरण में वादी व उसके साक्षीगण तथा अधिवक्ता और वादमित्र अनुपस्थित हैं। अतः आदेश 17 नियम 3 व 2 सी.पी.सी. के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. के अधीन वाद निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

व्यय तालिका बनायी जावे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जावे।

प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।